

व्यावसायिक शिक्षा योजना दिशा-निर्देश (सत्र 2020-21)

अवधारणा-

वर्तमान में वैश्विक बाजार एवं विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिये प्रशिक्षित रोजगारोन्मुखी एवं प्रतिस्पर्धात्मक मानवीय संसाधनों की मांग को दृष्टिगत रखते हुये मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत सन् 1988 में व्यावसायिक शिक्षा योजना का शुभारम्भ किया गया, जिसके माध्यम से 10,000 विद्यालयों के लगभग 10 लाख विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, किन्तु राज्य स्तर पर योजना का मूल्यांकन करने पर योजना को उचित स्थान नहीं मिल पाया। इसके पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने एवं 14-18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों की सीखने की अधिकतम क्षमता को देखते हुए विद्यालयी शिक्षा में योजना को पुनः भामिल करने हेतु आंशिक रूप से परिवर्तन किया जाकर संशोधित योजना **“Vocationalization of Secondary and Higher Secondary Education”** का ड्राफ्ट तैयार किया गया। माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं संशोधित व्यावसायिक शिक्षा योजना के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से राज्य के 11 जिलों के 70 राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा योजना प्रारम्भ की गई।

उद्देश्य -

1. शिक्षा एवं रोजगार के मध्य निर्दिष्ट अन्तराल को कम करना।
2. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर एवं रोजगारोन्मुखी बनाना।
3. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में रोजगार एवं कौशल विकास की क्षमता विकसित करना।
4. विद्यालय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में ड्रॉपआउटरेट कम कर ठहराव सुनिश्चित करना।
5. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के, (1) अनुसूचित जाति (2) अनुसूचित जनजाति (3) अन्य पिछड़ा वर्ग (4) अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों विशेष कर बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना।
6. विद्यालयी शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना।

उप

८

राज्य में योजना क्रियान्वति के चरण—

वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा राज्य के 11 जिलों के 70 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चार व्यवसायों यथा IT/ITes, Healthcare, Beauty & Wellness तथा Automobile में व्यावसायिक शिक्षा योजना का अनुमोदन कर क्रियान्वयन किया गया। इसके पश्चात भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में राजस्थान के सभी 33 जिलों के 220 विद्यालयों में तीन अतिरिक्त व्यवसाय यथा Retail, Security तथा Travel & Tourism वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के 33 जिलों में 380 विद्यालयों में अतिरिक्त तीन व्यवसाय यथा Electrical and Electronics, Micro Irrigation Technician (Agriculture) तथा Apparel Made-ups and Home Furnishing वित्तीय वर्ष 2017-18 में 50 अतिरिक्त विद्यालयों में योजना का क्रियान्वयन किया गया। सत्र 2018-19 में 185 विद्यालयों में अतिरिक्त दो व्यवसाय Plumber व Telecom के साथ 08 व्यवसायों में प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया। सत्र 2019-20 में कुल 905 विद्यालयों में 12 व्यवसायों में निम्न जॉब रोल के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण कार्य करवाया गया।

S.NO	Trades / Sectors	Job Role for Class IX-X	Job Role for Class XI	Job Role for Class XII Old Pattern
1	Automobile / Automotive	Automotive Service Technician L-3	Automotive Service Technician L-4	Automobile Service Technician
2	Apparel made-ups & home furnishing	Sewing Machine Operator	Specialized Sewing Machine Operator	Assistant Fashion Designer and Apparel
3	Agriculture	Solanaceous Crop Cultivator	Micro-irrigation Technician	Micro-irrigation Technician
4	Beauty & Wellness	Assistant Beauty Therapist	Beauty Therapist	Assistant Beautician
5	Electrical & Electronics / Electronics & Hardware	Field Technician- Other home appliances	Installation Technician – Computing and Peripherals	Domestic Appliances Technician
6	Health Care	Home health Aid	General Duty Assistant	General Duty Assistant / Patient Care Assistant
7	IT / ITES	Domestic Data Entry operator	Domestic CRM Voice	IT Help Desk Assistant / Attendant
8	Retail	Cashier	Sales Associate	Sales Associate
9	Security	Unarmed Security Guard	--	Unarmed Security Guard
10	Travel & Tourism / Tourism & Hospitality	Food & Beverage Service Trainee	Food and Beverage Service – Steward	Tour Assistant
11	Telecom	Optical Fiber Splicer	Optical Fibre Technician	--
12	Plumber	Plumber (General)	Plumber (General)	---

8/5/20

✓

योजना क्रियान्वयन में सहयोगी संस्थायें व उनके कार्य

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (MHRD):-

1. भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत राज्यों के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के कौशल विकास की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से व्यावसायिक शिक्षा योजना का क्रियान्वयन करना ।
2. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्यालयों तथा व्यवसायों का अन्तिम रूप से चयन करना ।

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् (RCSE):

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर समग्र शिक्षा अभियान की गतिविधियों के संचालन हेतु राज्य स्तर की संस्था है जिसके माध्यम से जिला, ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर पर योजना का क्रियान्वयन किया जाता है ।

1. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना का क्रियान्वयन करना ।
2. जिला, ब्लॉक एवं विद्यालय स्तर पर योजना के क्रियान्वयन, प्रभावी मॉनिटरिंग तथा संचालन एवं समय समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना ।
3. योजना क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय समिति द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता का चयन कर उन्हें योजना संचालन हेतु विद्यालयों का आवंटन एवं दिशा-निर्देश जारी करना ।
4. भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराना ।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC):-

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, भारत सरकार द्वारा पंजीकृत संस्था है, जो योजना क्रियान्वयन के संबंध में राज्यों को निम्नानुसार सहयोग प्रदान करती है:-

1. सलाहकार समूह में सदस्य के रूप में ।
2. राज्य स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण समिति में तकनीकी रूप से सहयोग करना व सेक्टर से सम्बन्धित सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं की जानकारी उपलब्ध कराना ।
3. विद्यालयों के आस-पास उद्योगों की उपलब्धता व रोजगार की संभावनाओं की मैपिंग करना ।
4. व्यावसाय से संबंधित प्रायोगिक कार्य हेतु परीक्षक (Accessor) उपलब्ध कराना ।
5. विद्यार्थियों के मूल्यांकन एवं प्रमाण पत्र के संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर को सहयोग प्रदान करना ।

पं. सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE) भोपाल:-

पं. सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE) भोपाल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT), नई दिल्ली की एक प्रमुख ईकाई हैं ।

1. राज्यों के लिए व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों (Sector/Trade) से सम्बन्धित जॉब रोल, पाठ्यक्रम निर्माण व Module निर्माण करना ।
2. व्यावसायिक प्रशिक्षकों की योग्यता निर्धारित करना ।

3. व्यावसायिक प्रशिक्षको व व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
4. व्यावसायिक शिक्षा विषय की प्रयोगशाला हेतु टूल्स, उपकरण तथा फर्नीचर के मापदण्ड (Specifications) का निर्धारण करना।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (BSER), अजमेर

1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (BSER), अजमेर का मुख्य कार्य व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत Scheme of Studies को अंतिम रूप दिया जाकर अधिसूचना जारी करना।
2. व्यावसायिक शिक्षा विषय के कक्षा-10 (लेवल-2) व कक्षा-12 (लेवल-4) के प्रश्न पत्र निर्माण करना व परीक्षा का आयोजन करना।
3. व्यावसायिक शिक्षा विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा आयोजन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) को सहयोग प्रदान करना।
4. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के समन्वय से विद्यार्थियों के मूल्यांकन, परीक्षा परिणाम जारी करना एवं प्रमाण पत्र तैयार करना।

सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC)

सेक्टर स्किल काउंसिल, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) से संबद्ध प्रत्येक सेक्टर से सम्बन्धित संस्था है।

1. विद्यालयों में सेक्टर से संबंधित प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु आवश्यक सामग्री के Specifications तैयार करने में राज्यों की सहायता करना, साथ ही विषय विशेषज्ञ उपलब्ध करवाना। व्यावसायिक प्रशिक्षको के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु संबंधित सेक्टर के संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध कराना।
2. विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा विषय के प्रायोगिक कार्य में सहयोग तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ समन्वय कर मूल्यांकन एवं प्रमाण पत्र तैयार करना।

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल (RSTB)

1. पं. सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE), भोपाल द्वारा उपलब्ध कराये गये विभिन्न व्यवसायों के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विद्यार्थी कार्य पुस्तिकाओं के मुद्रण का कार्य करना तथा मुद्रित सामग्री जिलों के डिपो तक पहुंचाना।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC)

1. कौशल विकास के सम्बन्ध में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।

Ban

✓

★ योजना के मुख्य बिन्दु ★

1. व्यावसायिक शिक्षा योजना, भारत सरकार द्वारा **“National Skill Qualification Framework”** के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जा रही है।
2. राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न व्यवसायों के पाठ्यक्रम में एकरूपता लाने हेतु National Skill Qualification Framework द्वारा Levels तैयार किये गये हैं। National Skill Qualification Framework के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा योजना के 10 लेवल है। इनमें प्रथम चार **Level, L-1** से **L-4** विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 के लिए है।
3. मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विद्यालयों में सेक्टर का चयन विद्यालय के आस-पास उपलब्ध उद्योगों (Industry) व क्षेत्र विशेष की आवश्यकता एवं रोजगार उपलब्धता के अवसरो के आधार पर किया जाता है।
4. विद्यार्थियों का चयन करने से पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षकों, विद्यालय के संस्थाप्रधानों आदि द्वारा प्रचार प्रसार व विद्यार्थियों के अभिभावकों को मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान किया जाता है।
5. प्रत्येक चयनित विद्यालय में दो सेक्टर में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
6. प्रति विद्यालय कक्षा-9 में दोनों सेक्टर हेतु पृथक-पृथक 40-40 विद्यार्थियों का चयन कर विद्यालयों को उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में रिकार्ड संधारित किया जाता है।
7. व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा विषय का शिक्षण कार्य राज्य स्तर से चयनित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) द्वारा नियोजित किये गये व्यावसायिक प्रशिक्षकों द्वारा किया जाता है। इन व्यावसायिक प्रशिक्षकों की योग्यता पण्डित सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (PSSCIVE), भोपाल द्वारा निर्धारित की जाती है।
8. चयनित विद्यालयों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) के द्वारा 30 विद्यालयों पर एक व्यावसायिक समन्वयक नियुक्त किया जाता है जिसके द्वारा प्रत्येक माह इनमें से न्यूनतम 22 विद्यालयों का निरीक्षण एवं प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक विद्यालय का कम से कम दो बार निरीक्षण करना अनिवार्य है।
9. व्यावसायिक शिक्षा योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराये जाने व योजना के सुचारु रूप से संचालन की दृष्टि से जिलों के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं जिला व ब्लॉक स्तरीय अन्य शिक्षा अधिकारियों का राज्य स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण/बैठको में आमुखीकरण तथा चयनित विद्यालयों के संस्था प्रधानों एवं

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) द्वारा नियोजित किये गये व्यावसायिक समन्वयकों तथा व्यावसायिक प्रशिक्षकों का राज्य स्तर से विभिन्न चरणों में आमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

10. विद्यालयों में व्यावसाय से संबंधित प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु पं. सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल द्वारा निर्धारित मापदण्ड (Specifications) के अनुसार विद्यालय के संस्था प्रधान, संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षक तथा व्यावसायिक समन्वयक आदि की मदद से आवश्यकतानुसार विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) से अनुमोदन के पश्चात प्रयोगशाला हेतु स्थाई/अस्थायी टूल्स, उपकरण/सामग्री एवं फर्नीचर नियमानुसार क्रय किया जाने का प्रावधान है।
11. विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षक तथा व्यावसायिक समन्वयक की मदद से पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक माह संबंधित व्यवसाय के प्रत्येक लेवल के लिये 2 Guest Lecture जिसमें सत्र में कम से कम 4 सॉफ्ट स्किल से सम्बन्धित Guest Lecture का आयोजन कराया जाना आवश्यक है। प्रत्येक Guest Lecture हेतु 500/- की राशि निर्धारित की गई है, जिसका प्रमाणीकरण विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा किया जाना आवश्यक है। (दिशा- निर्देश पृथक से संलग्न है)
12. कक्षा 9 व कक्षा 10 के विद्यार्थियों हेतु प्रति सेक्टर दो यूनिट पूर्ण होने/3 माह पश्चात औद्योगिक भ्रमण (प्रति वर्ष 03) का प्रावधान है।
13. कक्षा 11 व कक्षा 12 के विद्यार्थियों हेतु पृथक-पृथक रूप से 80 घण्टे का ऑन जाब ट्रेनिंग का प्रावधान है। (विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से संलग्न है)
14. कक्षा 12 लेवल -4 में उत्तीर्ण रोजगार के इच्छुक विद्यार्थियों को जॉब प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करने हेतु एनएसडीसी, एसएससी व व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के समन्वय से रोजगार मेले (जॉब फेयर) का आयोजन किया जाता है।
15. विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धात्मक एवं सृजनात्मक कौशल विकास हेतु कौशल (Skill) प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।
16. कक्षा 12 लेवल-4 उत्तीर्ण विद्यार्थियों का उच्च अध्ययन, जॉब प्लेसमेंट एवं ड्रापआउट ट्रेकिंग का रिकार्ड संधारण किया जाता है।
17. योजना संचालित 905 विद्यालयों में कक्षा-8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये Exposure to Vocational Education for Upper primary level हेतु विद्यालय स्तर पर एक दिवसीय Exposure camp का आयोजन किया जाता है। जिसमें विद्यार्थियों को राज्य में संचालित 12 व्यावसायिक शिक्षा विषयों की उपयोगिता एवं उपादेयता तथा संबंधित विषय में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता आदि की जानकारी, विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदान करायी जाती है।

व्यावसायिक शिक्षा विषय के अध्ययन की योजना (Scheme of Studies) तथा परीक्षा एवं मूल्यांकन

1. व्यावसायिक शिक्षा विषय को कक्षा 9(लेवल-1) व 10 (लेवल-2)में सातवें अतिरिक्त विषय के रूप में अध्ययन का प्रावधान है। जिसके लिए विद्यालय के समय विभाग चक्र के अतिरिक्त समय में प्रति सप्ताह कालांश निर्धारित कर लेवल-1 व लेवल-2 के लिये वर्ष में 200-200 घंटे की अवधि पूर्ण करनी होती है।
2. कक्षा 11(लेवल-3) व 12 (लेवल-4)में विद्यार्थी द्वारा व्यावसायिक शिक्षा विषय को तृतीय वैकल्पिक विषय अथवा चौथे अतिरिक्त विषय के रूप में अध्ययन का प्रावधान है। जिसके लिए विद्यालय के समय विभाग चक्र में प्रति सप्ताह कालांश निर्धारित कर लेवल-3 व लेवल-4 के लिये वर्ष में 300-300 घंटे की अवधि पूर्ण करने का प्रावधान है।
3. प्रति कक्षा (Level) व्यावसायिक शिक्षा विषय का मूल्यांकन/परीक्षा 100 अकों का होगा जिसका अंक विभाजन निम्न प्रकार है:-

विद्यालय स्तर पर सतत् मूल्यांकन	लिखित परीक्षा	प्रायोगिक परीक्षा
20	30	50

4. कक्षा 10 व 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वार्षिक सैद्धान्तिक परीक्षाओं का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा करवाया जाता है। इस हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी निर्देशानुसार माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा व उच्च माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा के आवेदन पत्र विद्यालय द्वारा भरना।
5. कक्षा 9 व 11 के प्रायोगिक परीक्षा जिले में व्यावसायिक शिक्षा संचालित अन्तर्विद्यालय के व्यावसायिक प्रशिक्षकों द्वारा तथा कक्षा 10 व 12 की प्रयोगिक परीक्षा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, नई दिल्ली व विभिन्न सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा उपलब्ध कराये गये असेसर (बाह्य परीक्षक) व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के समन्वय से सम्पन्न करायी जाती है।

अध्य

4

परीक्षा आयोजन सम्बन्धित विवरण

परीक्षा	कक्षा 9	कक्षा 10	कक्षा 11	कक्षा 12
सतत मूल्यांकन	विद्यालय स्तर	विद्यालय स्तर	विद्यालय स्तर	विद्यालय स्तर
लिखित परीक्षा	विद्यालय स्तर	बोर्ड स्तर	विद्यालय स्तर	बोर्ड स्तर
प्रायोगिक परीक्षा	जिला स्तर	NSDC द्वारा	जिला स्तर	NSDC द्वारा

6. विद्यार्थियों को प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक परीक्षा में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
7. कक्षा 09 (Level-1) कक्षा 11 (Level-3) की व्यावसायिक शिक्षा विषय की वार्षिक सैद्धान्तिक परीक्षा का विद्यालय स्तर पर आयोजन, मूल्यांकन व परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है।
8. व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत कक्षा 10 व कक्षा 12 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर तथा Sector Skill Councils द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।





AWP & B 2020-21 में अनुमोदित बजट प्रावधान

1. आवर्ती मद— AWP & B 2020-21 में अनुमोदित बजट प्रावधान निम्नानुसार है:—

- 1) Assessment and Certification Cost (Existing) मद में राशि रु. 390.906 लाख का बजट अनुमोदित है। यह राशि 600/— प्रति विद्यार्थी की दर से कक्षा 10 व कक्षा 12 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के Assessment एवं प्रमाण पत्र जारी करने हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर को 100/— रुपये प्रति विद्यार्थी एवं सम्बन्धित सेक्टर स्किल काउंसिल को 500/— रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से जारी की जाती है।
- 2) Cost of providing Hands Training Students(Existing) मद में राशि रु. 2042.585 लाख का बजट अनुमोदित है। यह राशि कक्षा 9 व कक्षा 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए औद्योगिक भ्रमण तथा कक्षा 11 व कक्षा 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग पर व्यय किये जाने हेतु विद्यालयों को हस्तान्तरित की जाती है। औद्योगिक भ्रमण तथा ऑन जॉब ट्रेनिंग के आयोजन व राशि के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पृष्ठ संख्या 12-13 पर निर्दिष्ट है।
- 3) Financial Support for Resource Persons (Existing) मद में राशि रु. 1357.50 लाख का बजट अनुमोदित है। इस मद में विद्यालयों में आयोजित गेस्ट लैक्चर व व्यावसायिक समन्वयक के मानदेय पर व्यय किया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षकों का मानदेय इन्हें नियोजित करने वाले चयनित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को राज्य स्तर/जिला स्तर से पुनर्भरण किया जाता है तथा गेस्ट लेक्चर से सम्बन्धित राशि जिलों के माध्यम से विद्यालयों को हस्तान्तरित की जाती है। (विस्तृत दिशा-निर्देश पृष्ठ संख्या 11-12 पर निर्दिष्ट है)
- 4) Financial Support for Vocational Teacher/ Trainer (Existing) मद में राज्य में नियोजित 1810 व्यावसायिक प्रशिक्षकों के मानदेय बाबत राशि रु. 4344.00 लाख का बजट अनुमोदित है। यह राशि व्यावसायिक प्रशिक्षकों के मानदेय से सम्बन्धित है, जिसका व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षकों को मानदेय भुगतान कर पत्रावली जिलों पर प्रस्तुत करने के पश्चात् जिला कार्यालयों द्वारा पुनर्भरण किया जाता है।
- 5) In-service Training of VE - Teachers (5 Days) - (Existing) मद में राशि रु. 45.25 लाख का बजट अनुमोदित है। व्यावसायिक प्रशिक्षकों के 5 दिवसीय In-service Training राज्य स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षकों के नियोजन के पश्चात् आयोजित करवायी जाती है।

- 6) Office Expenses/Contingencies for School (Existing) मद में राशि रु. 905.00 लाख का बजट अनुमोदित है। यह राशि व्यावसायिक शिक्षा योजना के प्रचार-प्रसार, स्टेशनरी, यात्रा व्यय एवं परीक्षा सम्बन्धी ई-कनटेन्ट आदि के लिए विद्यालयों को जारी की जाती है।
- 7) Raw material grant for per school (Existing) मद में राशि रु. 2262.50 लाख का बजट अनुमोदित है। यह राशि विद्यालयों में प्रति विद्यालय दो व्यावसायिक लैब में प्रशिक्षण के दौरान उपयोग में आने वाली Raw Materials, उपकरणों के रखरखाव, सॉफ्टवेयर, पुस्तकें व ई-लर्निंग सामग्री के क्रय हेतु विद्यालयों को जारी की जाती है।

2. Innovative Activities -

AWP & B 2020-21 में Innovative Activities के अन्तर्गत बजट प्रावधान निम्नानुसार है:-

1. Exhibition cum Competition मद में राशि रु. 45.25 लाख का बजट अनुमोदित है। उक्त गतिविधि राज्य में Innovation के रूप में सत्र 2019-20 में प्रारम्भ की गई। इस हेतु व्यावसायिक शिक्षा संचालित 905 विद्यालयों के लिए राशि रु. 5,000/- प्रति विद्यालय बजट प्रावधान किया गया है। (विस्तृत दिशा-निर्देश पृष्ठ संख्या 13-14 पर निर्दिष्ट है)
2. Job Fair for existing schools मद में राशि रु. 5.00 लाख का बजट अनुमोदित है। यह गतिविधि सत्र 2018-19 से राज्य में नियमित गतिविधि के रूप में संचालित है। इस हेतु व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में कक्षा 12 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जॉब के अवसर प्रदान करने हेतु जॉब फेयर का आयोजन राज्य स्तर पर किया जाना है। (विस्तृत दिशा-निर्देश पृष्ठ संख्या 15 पर निर्दिष्ट है)
3. Skill Exhibition cum Competition (RCSE Olympiad 2020-21) मद में राशि रु. 8.25 लाख का बजट अनुमोदित है। यह गतिविधि राज्य में नये Innovation के रूप में इस सत्र में प्रस्तावित है। इस गतिविधि के आयोजन हेतु राशि रु. 25000/- प्रति जिला का प्रावधान है। यह गतिविधि 02 भागों में विभाजित है।
 - Skill Exhibition and seminar- यह गतिविधि जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर आयोजित की जानी है।
 - RCSE Olympiad 2020-21- यह गतिविधि राज्य स्तर पर आयोजित की जानी है।

गतिविधि के आयोजन बाबत विस्तृत दिशा-निर्देश पृष्ठ संख्या 16-21 पर निर्दिष्ट है।





AWP & B 2020-21 में अनुमोदित गतिविधियों के क्रियान्वयन सम्बन्धी दिशा-निर्देश

1. गेस्ट लेक्चर

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा AWP & B 2020-21 में नियमित गतिविधि के रूप में अनुमोदित है। इसके अन्तर्गत प्रति सेक्टर लेवलवार प्रतिमाह 02 गेस्ट लेक्चर आयोजित किये जाते हैं। जिनमें से वर्ष में 04 सॉफ्ट स्किल के लेक्चर का आयोजन किया जाना आवश्यक है।

उद्देश्य—

- दुनिया के वास्तविक परिदृश्य और जीवन के अनुभवों गतिशीलता एवं कार्य स्थितियों के सम्बन्ध में कौशल प्रदान करना।
- प्लेसमेंट के लिये सहयोग की सम्भावना का पता लगाना।
- अध्ययन और रोजगार के बीच निर्दिष्ट अन्तराल को कम करना।

क्रियान्वयन

- प्रत्येक व्यवसाय एवं प्रत्येक कक्षा प्रति माह दो गेस्ट लेक्चर आयोजित कराने के मध्य 10 दिवस का अन्तर होना चाहिये, प्रत्येक कक्षा में गेस्ट लेक्चर का आयोजन अलग-अलग दिनांक में अलग-अलग विशेषज्ञ से दिलवाया जावें। जिसकी पूर्व योजना तैयार कर संस्था प्रधान से अनुमोदन करवानी है।
- गेस्ट लेक्चर संबंधित व्यवसाय के विशेषज्ञ द्वारा आयोजित करवाना।
- प्रत्येक गेस्ट लेक्चर की अवधि कम से कम एक घंटा होनी चाहिए, साथ ही गेस्ट लेक्चर आयोजन की दिनांक पूर्व में प्रधानाचार्य से विचार-विमर्श कर निश्चित करें, जिससे सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सकें।
- गेस्ट लेक्चर की सूची मय विषय, गेस्ट लेक्चर का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा (L-1, L-2, L-3, L-4), आयोजित तिथि तथा देय राशि का विवरण तैयार कर बिल के साथ प्रस्तुत करना है।
- गेस्ट लेक्चर से संबंधित रिपोर्ट पर गेस्ट लेक्चर देने वाले के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान/कौशल मित्र अध्यापक (प्रधानाचार्य द्वारा मनोनीत) से प्रमाणित करवाकर मूल प्रति भुगतान वाउचर के साथ संधारित की जानी है।
- प्रति माह गेस्ट लेक्चर आयोजित नहीं किये जाने की स्थिति में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता पर प्रति व्यवसाय प्रति गेस्ट लेक्चर 500 रुपये की पैनल्टी लगायी जावेगी।

2. औद्योगिक भ्रमण एवं ऑन जॉब ट्रेनिंग (OJT)

व्यावसायिक शिक्षा में यह गतिविधि AWP & B 2020-21 में नियमित वार्षिक गतिविधि के रूप में अनुमोदित है। औद्योगिक भ्रमण का आयोजन लेवल 1 (कक्षा-09) व कक्षा 10 (लेवल-2) के विद्यार्थियों के लिये एवं लेवल 03 (कक्षा-11) व लेवल 04 (कक्षा-12) के विद्यार्थियों के लिये ऑन जॉब ट्रेनिंग (OJT) अनिवार्य है।

ऑन जॉब ट्रेनिंग N.S.Q.F. की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जिसके द्वारा कौशल विकास और रोजगार के मध्य अन्तराल को कम करके विद्यार्थियों को वास्तविक कार्यस्थल से अवगत कराया जाता है। जिससे भविष्य में उस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को विद्यार्थी तलाश सके।

उद्देश्य-

- पेशेवर परिस्थितियों व व्यावहारिक अनुभव का व्यावसायिक शिक्षा के सैद्धान्तिक ज्ञान और अर्जित कौशल के साथ समन्वय स्थापित करना।
- व्यावसायिक क्षेत्र के नियम, कार्यों की वास्तविक कार्यस्थल पर जाकर समझ विकसित करना।
- विद्यार्थियों का व्यक्तित्व एवं कौशल विकास कर रोजगार की संभावनाओं में अभिवृद्धि करना।
- कक्षा 12 (लेवल-4) के बाद विद्यार्थियों को सम्बन्धित व्यवसाय में रोजगार का विकल्प तैयार करने हेतु सक्षम बनाना।
- औद्योगिक संस्थानों के आन्तरिक काम के माहौल के बारे में जानकारी प्राप्त कराना।
- औद्योगिक संस्थानों की कार्यप्रणाली की समझ विकसित करना।

क्रियान्वयन

- OJT में व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी (लेवल 3 से लेवल 4) व्यावसायिक प्रशिक्षक व प्रधानाचार्य स्थानीय विद्यालय के निर्देशन में ट्रेड से संबंधित निकटतम व्यवसाय/उद्योग/कंपनी/संस्था/संगठन में प्रतिदिन 4-6 घंटे कार्य कर कौशल अभिवृद्धि करना।
- विद्यालय से प्रशिक्षण स्थल/औद्योगिक भ्रमण स्थल दूर है तो रोडवेज बस से यात्रा करने को प्राथमिकता दी जावे। यदि छात्राएँ भी हैं तो भ्रमण के दौरान महिला अध्यापिका भी साथ में जावे।
- OJT का आयोजन केवल विद्यालयी अवकाशों यथा दीपावली अवकाश/शीतकालीन अवकाश आदि में किया जावेगा जहाँ प्रति विद्यार्थी द्वारा लेवल-3 व लेवल 4 में पृथक पृथक 80-80 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना है।





4. प्रशिक्षण स्थल-विद्यालय के विद्यार्थियों के व्यवसाय अनुसार निकटतम उद्योग/कंपनी/संस्था/संगठन को प्राथमिकता।
5. प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि का व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा फोटो/वीडियो बनाकर फीडबैक रिपोर्ट तैयार की जावें। रिपोर्ट आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित प्रधानाचार्य/जिला कार्यालय व राज्य कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
6. औद्योगिक भ्रमण की रिपोर्ट में भ्रमण किये गये स्थल का नाम, भ्रमण दिनांक, भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालय से प्रतिनिधित्व करने वाले अध्यापक का नाम का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।
7. इस संपूर्ण गतिविधि पर होने वाले व्यय के मूल बिल/रसीद में पूर्ण विवरण यथा फर्म/व्यक्ति का पता, दिनांक, प्राप्त की गई राशि का अंको/शब्दों में विवरण, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर व अन्य व्यय संबंधी विवरण आवश्यक रूप से भरना है।

3. Exposure to vocational Education for Upper primary level (Exhibition cum Competition)

प्रस्तावित माह – फरवरी, 2021

AWP & B सत्र 2020-21 में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य में उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों हेतु अनुमोदित नवाचार है, इसके अन्तर्गत योजना संचालित 905 विद्यालयों में कक्षा-8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये विद्यालय स्तर पर एक दिवसीय Exposure camp का आयोजन किया जावेगा जिसमें विद्यार्थियों को राज्य में संचालित 12 व्यावसायिक शिक्षा विषयो एवं संबधित विषय में रोजगार के अवसरो की उपलब्धता आदि की जानकारी विषय विशेषज्ञो द्वारा प्रदान करायी जावेगी।

उद्देश्य

- a) व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयो में कक्षा-8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों में व्यावसायिक शिक्षा विषय के चयन का बोध विकसित करना।
- b) कौशल विकास एवं कौशल के क्षेत्रों में रोजगार के अवसरो की जानकारी प्रदान करना।
- c) स्वरोजगार की भावना विकसित करना।
- d) व्यावसायिक शिक्षा योजना का प्रचार-प्रसार करना।

क्रियान्वयन-

1. (अ) ग्रामीण क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों (PEEO Level) के अधीन संचालित समस्त राजकीय उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी गतिविधि में शामिल होंगे।





(ब) शहरी क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में स्वयं के विद्यालय के कक्षा 8 में अध्ययनरत् विद्यार्थी गतिविधि में शामिल होंगे।

(स) उक्त के अतिरिक्त अन्य राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 में अध्ययनरत् अन्य इच्छुक विद्यार्थी भी स्वयं/विद्यालय के खर्चे पर अपने नजदीकी व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालय में गतिविधि आयोजन में भाग ले सकते हैं।

2. गतिविधि के आयोजन हेतु व्यावसायिक शिक्षा संचालित प्रत्येक विद्यालय को राशि रु. 5000/- व्यय किये जाने का प्रावधान है। इस राशि को संभागी विद्यार्थियों के अल्पाहार, चार्ट माड्यूल आदि प्रदर्शनी सामग्री एवं आयोजन व्यवस्था पर व्यय किया जाना है, जिसे परिषद कार्यालय द्वारा जिलो पर हस्तान्तरित कर दिया जावेगा।
3. गतिविधि का आयोजन विद्यालय समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक करवाया जाना है।
4. गतिविधि के आयोजन हेतु संस्थाप्रधान आयोजन प्रभारी व कौशल मित्र सह-प्रभारी रहेंगे तथा व्यावसायिक प्रशिक्षक पूर्ण रूप से गतिविधि आयोजन के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करेंगे। आयोजन पश्चात रिपोर्ट परिषद कार्यालय को भिजवायेंगे।



4. रोजगार मेला (Job Fair)

प्रस्तावित माह — नवम्बर-दिसम्बर 2020

व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत राज्य में सत्र 2018-19 से रोजगार मेले का आयोजन प्रारम्भ किया गया। सत्र 2020-21 में व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में कक्षा 12 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाना है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के सेक्टर से सम्बन्धित रोजगार उपलब्ध करवाने वाले औद्योगिक समूह व संस्थाओं को आमंत्रित कर विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जायेंगे।

उद्देश्य

- a) कक्षा 12 उत्तीर्ण रोजगार के इच्छुक विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाना।
- b) व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के लिये विद्यार्थियों का कौशल विकास करना।
- c) विद्यार्थियों को रोजगार के द्वारा आत्मनिर्भर बनाना।

क्रियान्वयन

1. विद्यार्थियों के प्लेसमेंट हेतु सेक्टर स्किल काउंसिल, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता व राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से समन्वय कर रोजगार मेला आयोजित कराना।
2. विद्यार्थी ट्रेकिंग रिकार्ड का समय-समय पर अपडेशन करना जिससे रोजगार प्राप्त विद्यार्थियों की ट्रेकिंग की जा सके।
3. रोजगार मेलों में सेक्टर से संबंधित औद्योगिक समूह व संस्थाओं को आमंत्रित करना।

5.Skill Exhibition cum Competition(RCScE Skill Olympiad 2020-21)

राज्य में यह नवाचार मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा AWP & B 2020-21 में नवीन अनुमोदित किया गया है। इसके अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के अनुप्रयोग के बारे में विद्यार्थियों में अभिरूचि विकसित करने के लिये इस गतिविधि का आयोजन किया जाना है। यह गतिविधि दो भागों में आयोजित की जानी है।

1. Skill Exhibition and Seminar
2. RCScE Skill Olympiad 2020-21

5.1 Skill Exhibition and Seminar

प्रस्तावित माह – नवम्बर, 2020

उद्देश्य

- a) विद्यार्थियों में समाज की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका के बारे में समझ विकसित करना।
- b) विद्यार्थियों को समाजिक- आर्थिक विकास में व्यावसायिक शिक्षा की उपयोगिता के बारे में जागरूक करना।
- c) विद्यार्थियों के कौशल विकास को पहचान कर भविष्य हेतु रोजगार की दिशा प्रदान करना।

क्रियान्वयन

1. प्रत्येक सेक्टर/ट्रेड में 02 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है।

5.1.a कौशल प्रार्दश प्रतियोगिता

5.1.b कौशल सेमीनार

क्र.स	आयोजन का स्तर	उत्तरदायी अधिकारी
1	विद्यालय स्तर	प्रधानाचार्य
2	जिला स्तर	CDEO/ADPC
4	राज्य स्तर	आयोजक संभाग

2. सभागियों का विवरण

- जिला स्तर- व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालय में विद्यालय स्तर आयोजित प्रतियोगिताएँ (मॉडल एवं सेमिनार) में प्रत्येक ट्रेड में प्रथम स्थान प्राप्त चयनित

बुद्धि



कुल 02 विद्यार्थी अर्थात् 04 विद्यार्थी प्रति विद्यालय जिला स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेंगे। (प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम चयनित विद्यार्थी)।

● राज्य स्तर— प्रत्येक जिले से प्रथम चयनित विद्यार्थी भाग लेंगे।

3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करे कि जिले के समस्त व्यावसायिक शिक्षा विद्यालयों में यह गतिविधि अनिवार्य रूप से आयोजित की जावे तथा विद्यालय स्तर पर प्रति सेक्टर/ट्रेड प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम रहे संभागी जिला स्तर पर अनिवार्य रूप से भाग ले।
4. इस गतिविधि में भाग लेने हेतु विद्यार्थियों से किसी प्रकार का पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाना है।
5. प्रत्येक स्तर पर चयनित प्रतिभागी विद्यार्थियों को प्रशस्ति-पत्र/प्रमाण पत्र प्रत्येक स्तर के उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा प्रदत्त किया जाना है।
6. एक विद्यार्थी किसी एक ही प्रतियोगिता में भाग ले सकेगा।
7. जिला स्तरीय गतिविधि में भाग नहीं लेने वाले विद्यालयों के संस्थाप्रधानों के विरुद्ध मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा ऐसे विद्यालयों की सूची राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय को प्रेषित करें।
8. प्रत्येक विद्यालय स्तरीय गतिविधि के आयोजन का प्रतिवेदन अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को अनिवार्यतः भेजा जावे। जिला स्तरीय आयोजन का प्रतिवेदन, गतिविधियों का विवरण समाप्ति के 07 दिवस में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक से प्रति हस्ताक्षर करवा कर परिषद् कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।
9. दोनों प्रतियोगिताओं में यह सुनिश्चित किया जावे की मूल्यांकन निर्णय व्यवस्था निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो।
10. जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी राज्य स्तर पर भाग लेने हेतु पंजीयन प्रपत्र—अ की पूर्ण भरी हुयी एक प्रति साथ लावे।
11. प्रादर्श व अन्य प्रतियोगिता सामग्री पर संभागी का नाम व विद्यालय का नाम न लिखकर अधिकृत आयोजनकर्ता द्वारा आवंटित कोड का ही अंकन किया जावे।
12. Skill Exhibition cum Competition को आकर्षक बनाने एवं प्रचार प्रसार किये जाने बाबत मीडिया एवं मोबाईल संदेश द्वारा अभिभावकों के नाम अपील जारी की जावे जिससे कि जिला स्तरीय प्रदर्शनी में आपका विद्यार्थी अपने कौशल को विकसित करने से वंचित न रहे जावे।
13. जिला स्तर पर उत्तरदायी अधिकारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय निर्णायक समिति का गठन किया जावेगा।

अध्यक्ष

14. उक्त गतिविधि के आयोजन हेतु प्रति जिला पच्चीस हजार रुपये की राशि का प्रावधान है जिसका व्यय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर द्वारा निर्देशों एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।
15. प्रत्येक ट्रेड में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाना है।

5.1.a कौशल प्रदर्श प्रतियोगिता

संभागी— कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी (व्यावसायिक शिक्षा)

प्रतियोगिता का मुख्य विषय— "हुनर है तो कदर है।"

उप विषय—

Automobile/Automotive	Electrical & Electronics / Electronics and Hardware	IT/ITes	Telecom
Apparels made-ups & Home Furnishing	Beauty & Wellness	Retail	Plumber
Agriculture	Health Care	Security	Travel & Tourism/ Tourism and Hospitality

- विद्यार्थी उक्त निर्धारित उपविषयों में से किसी एक विषय से संबंधित प्रादर्श का स्वयं निर्माण करे अर्थात् प्रतियोगिता में विद्यार्थियों की स्वयं की सृजनशीलता कल्पनाशीलता, तकनीक कौशल, कर्म कौशल एवं शिल्प कौशल को वरीयता दी जावे। विद्यार्थी बने बनाये प्रादर्श के उपयोग से बचे।
- प्रादर्श मितव्ययी (कम लागत), सुवाह्य (पोर्टेबल) एवं टिकाऊ हो।
- प्रादर्श के मूल्यांकन हेतु 03 सदस्यीय दल का गठन किया जावे जिनके द्वारा पृथक पृथक मूल्यांकन कर समेकित कर परिणाम की घोषणा की जावे। मूल्यांकन हेतु अंक निर्धारण निम्नानुसार है—

विद्यार्थी की कौशलता / कल्पनाशीलता का समावेश	मौलिकता एवं नवाचार	व्यवसायिक सोच / उपागम / सिद्धान्त	तकनीकी कौशल / कर्मकौशल / शिल्प कौशल	प्रादर्श की उपयोगिता / व्यावसायिक महत्व	मितव्ययी / सुवाह्य / टिकाऊपन	प्रतिभागी द्वारा प्रस्तुतीकरण	योग
15 अंक	15 अंक	15 अंक	15 अंक	15 अंक	15 अंक	10 अंक	100

कृप

✓

5.1.b कौशल सेमिनार

संभागी-कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी (व्यावसायिक शिक्षा) समयावधि-05 मिनट प्रति संभागी।

विषय- "व्यावसायिक शिक्षा - एक कदम रोजगार की ओर"

1. विद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जिला स्तर पर भाग लेंगे।
2. सेमिनार में संभागी अपने द्वारा किये गये कार्य एवं उसके प्रतिवेदन को सहायक सामग्री यथा चार्ट पोस्टर, कम्प्यूटर/लेपटॉप/मॉडल का प्रयोग कर दर्शको एवं निर्णायको के समक्ष प्रदर्शित करेंगे। तथा निर्णायकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर भी देना होगा। (अधिकतम -02 प्रश्न)
3. संभागी द्वारा अपने प्रतिवेदन की प्रति तथा कुल 500 शब्दों में सारांश की प्रति प्रस्तुतिकरण के समय निर्णायक मण्डल को प्रस्तुत करनी होगी।
4. निर्णायक मण्डल द्वारा निर्णय किये जाने बाबत अंक निर्धारण निम्नानुसार है-

प्रतिवेदन एवं समग्र कार्य	कौशल प्रस्तुतिकरण				
	विषय से सम्बद्धता, स्पष्टता एवं मौलिकता	सहायक सामग्री का यथोचित एवं प्रभावी प्रयोग	तर्किकता	प्रश्नोत्तर	योग
50 अंक	15 अंक	15 अंक	10 अंक	10 अंक	100 अंक

अप

✓

विद्यार्थी पंजीयन पत्र – अ
Skill Exhibition cum Competition

(प्रादर्श एवं सेमीनार प्रतियोगिता के लिये)

- जिला स्तरीय आयोजन स्थल—.....
- आयोजन दिनांक—.....
- व्यवसाय (ट्रेड/सेक्टर)
- प्रतियोगिता का प्रकार—प्रादर्श (मॉडल)/सेमिनार
(एक विद्यार्थी एक ही प्रतियोगिता में भाग लें)
- संभागी विद्यार्थी का नाम—.....

संभागी का
आवक्ष फोटो
प्रति हस्ताक्षर
प्रधानाचार्य

SEX	Male	Female
-----	------	--------

(जो उपयुक्त हो उस पर ✓ अंकित करें)

- पिता का नाम—.....
- मोबाइल नम्बर—.....
- विद्यालय का नाम—.....
- कक्षा —
- जन्मतिथि—.....
- आधार संख्या—.....
- कौशल मित्र का नाम व मोबाइल नम्बर

हस्ताक्षर
(सम्बन्धित स्तर का अधिकारी)
विद्यालय/जिला/राज्य

उप

✓

5.2 RCSE Skill Olympiad-2020-21

प्रस्तावित माह — नवम्बर, 2020

उद्देश्य

कौशल और ज्ञान देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की प्रेरक शक्ति हैं। विकसित देशों में जहाँ कुशल कार्यबल का प्रतिशत कुल कार्यबल के 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच है वहीं भारत में केवल 5 प्रतिशत कार्यबल औपचारिक व्यावसायिक कौशल का है। "RCSE Skill Olympiad-2020-21" का उद्देश्य राज्य में कक्षा 12 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की कौशल उत्कृष्टता को मापना, क्षमता की पहचान करना और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना एवं छात्रों को अपना ज्ञान, कौशल और क्षमता दिखाने के लिए एक राज्य स्तरीय मंच उपलब्ध कराना है। यह कार्यक्रम NSDC और SSC के समन्वय के साथ राज्य स्तर पर आयोजित किया जाना है। प्रति ट्रेड प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त 24 विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा।

क्रियान्वयन

राज्य में व्यावसायिक शिक्षा में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए RCSE Skill Olympiad राज्य स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इसमें संभागियों के चयन के लिए सभी जिलों में सभी ट्रेडों में 12वीं कक्षा में अध्ययनरत् विद्यार्थियों हेतु निर्धारित तिथि को ई-क्विज आयोजित की जायेगी। इस ई-क्विज के लिए विद्यार्थियों को दो दिन पूर्व अपना पंजीकरण कराना होगा। विद्यार्थी के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर ई-क्विज का लिंक साझा किया जाएगा।

इस ई-क्विज के द्वारा प्रत्येक जिले से प्रत्येक ट्रेड में एक छात्र का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इन चयनित छात्रों को राज्य स्तर पर हैंड्स फॉर कॉम्पिटिशन (प्रायोगिक कार्य) में भाग लेने हेतु राज्य स्तर पर आमन्त्रित किया जाएगा।

राज्य में प्रति ट्रेड चयनित प्रथम व द्वितीय विद्यार्थी को पुरस्कृत किया जाएगा और राज्य स्तर पर सहभागी सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा।

विभिन्न स्तर पर किये जाने वाले कार्य

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय तथा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय (CDEO-DPC/ADPC Office) के कार्य

1. योजना के संबंध में समस्त प्रकार के पत्राचार एवं राशि जिला परियोजना समन्वयक/ अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के माध्यम से विद्यालयों को जारी करना ।
2. जिलों के चयनित विद्यालयों के संस्था प्रधानों को योजना के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करना ।
3. व्यावसायिक विषयों से संबंधित लैब स्थापना सम्बन्धित कार्य पूर्ण करवाना ।
4. समय-समय पर व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों का निरीक्षण करना ।
5. माह में एक बार जिला स्तरीय कार्यालय में व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालित विद्यालयों में योजना की प्रगति के संबंध में व्यावसायिक समन्वयकों के साथ बैठक आयोजित करना ।
6. माह में एक बार व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालित विद्यालयों में योजना की प्रगति के संबंध में संबंधित संस्थाप्रधानों के साथ बैठक आयोजित करना ।
7. गेस्ट लेक्चर व औद्योगिक भ्रमण एवं ऑन जॉब ट्रेनिंग (OJT) की मॉनिटरिंग व राज्य स्तर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत बिलों का संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण करवाकर भुगतान करने हेतु संस्था प्रधान को आदेशित करना ।
8. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा नियोजित व्यावसायिक प्रशिक्षक एवं समन्वयकों के मानदेय भुगतान की समयबद्ध पुनर्भरण प्रक्रिया सम्पादित करना ।
9. योजना संचालन में आयोजित नियमित गतिविधियों पर किये जाने वाले व्यय का प्रतिमाह निर्धारित अवधि में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के पीएमएस पोर्टल नियमित प्रविष्टियां पूर्ण करवाना ।
10. विद्यालयों से व्यावसायिक प्रशिक्षकों की ट्रेडवार उपस्थिति शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित कराना व इसकी मॉनिटरिंग करना ।

2. संस्था प्रधान द्वारा किये जाने वाले कार्य

व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालित विद्यालयों के संस्था प्रधान योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्य सम्पादित करेंगे:-

1. विद्यालयों के कक्षा 09 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ सम्पर्क स्थापित कर उन्हें व्यावसायिक शिक्षा योजना की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना, तथा पर्याप्त मार्गदर्शन पश्चात् ही विद्यार्थियों का चयन सुनिश्चित किया जाना ।

2. विद्यालय में आंवटित दोनो सेक्टर हेतु कक्षा 9 में 40-40 विद्यार्थियों का चयन सुनिश्चित करना।
3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार विद्यालय के समय विभाग चक्र में व्यावसायिक शिक्षा विषय के शिक्षण हेतु कालांश/समय निर्धारित करना।
4. विद्यालय में दोनों सेक्टर हेतु दो अलग-अलग कक्षा कक्षों की व्यवस्था सुनिश्चित करना, जिसमें व्यवसाय से संबंधित प्रयोगशाला स्थापित हो।
5. कक्षा-कक्षों/प्रयोगशाला कक्ष में बिजली एवं विद्यार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।
6. विद्यालय स्तर पर योजना के सफल संचालन हेतु विद्यालय के योग्यता एवं रुचि के अनुसार एक राजकीय शिक्षक यथा संभव विज्ञान वर्ग का वरिष्ठतम व्याख्याता को योजना का प्रभारी बनाकर कौशल मित्र के रूप में नामित करना।
7. विद्यालय में सेवाये प्रदान करने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षकों की योग्यता संबंधित प्रमाण-पत्रों का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान करना एवं समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियाँ विद्यालय में संधारित करना।
8. विद्यालयों में व्यवसायिक प्रशिक्षकों की दैनिक उपस्थिति करवाये जाने हेतु विद्यालय में अलग से रजिस्टर संधारित कर सेक्टरवाइज उपस्थिति करवाना, जिसमें व्यवसायिक प्रशिक्षक का नाम नहीं लिखकर केवल सेक्टर का नाम व व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP's) के नाम का ही उल्लेख करना है।
9. विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षकों की दैनिक उपस्थिति करवाये जाने हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन मॉड्युल जारी है पोर्टल पर संस्था प्रधान द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति/अनुपस्थिति दर्ज करना।
10. विद्यालय में दोनो व्यवसायों से संबंधित प्रयोगशाला स्थापित करने में व्यावसायिक प्रशिक्षकों, व्यावसायिक समन्वयकों तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विषय विशेषज्ञों की मदद ली जाकर पं. सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान द्वारा जारी टूल्स इक्युपमेंट्स एवं फर्नीचर के स्पेशिपिकेशन के अनुसार, संस्था प्रधान अनुमोदित सूची के अतिरिक्त भी व्यवसाय से सम्बन्धित सामग्री क्रय करने हेतु प्रस्ताव दे सकते हैं किन्तु उक्त प्रस्ताव का विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है।
11. राज्य स्तर से व्यवसाय से संबंधित टूल्स इक्युपमेंट्स एवं फर्नीचर व अन्य आवर्ती हेतु जारी राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देश एवं मानव संसाधन मंत्रालय की गाइड लाइन, GF & AR, Manual on Financial Management and Procurement for RMSA तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित कराते हुये किया जाना आवश्यक है, इस संबंध में समय-समय पर परिषद् द्वारा जारी आदेश की पालना की जानी है।





12. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यावसायिक प्रशिक्षकों के शिक्षण कार्य का अवलोकन, उनके द्वारा संधारित की गई दैनिक डायरी, साप्ताहिक एवं मासिक योजना साथ ही उनकी मासिक उपस्थिति का प्रमाणीकरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से किया जाना।
13. व्यावसायिक प्रशिक्षकों को अनुबंध के अनुसार एक माह में एक आकस्मिक अवकाश देय होगा, अर्थात् वर्ष भर में प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षक को कुल 12 अवकाश देय है, जिसका समस्त रिकार्ड संस्था प्रधान द्वारा संधारित किया जावेगा। संस्था प्रधान द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षकों की उपस्थिति निर्धारित प्रारूप में उपस्थित रहने पर "P", अवकाश पर रहने पर नियमानुसार "L", अनुपस्थित रहने पर "A" तथा विभिन्न राजकीय/स्थानीय घोषित अवकाश होने पर "H" अंकित किया जाना।
14. व्यावसायिक प्रशिक्षक के अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति दिवस के अगले दिन व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता को नोटिस जारी करना।
15. व्यावसायिक प्रशिक्षकों द्वारा आयोजित कराये गये औद्योगिक भ्रमण एवं ऑन जॉब ट्रेनिंग (OJT) व Guest Lecture पर होने वाले व्यय का प्रमाणीकरण विद्यालय के कौशल मित्र (व्यावसायिक शिक्षा प्रभारी) व संस्था प्रधान द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाना।
16. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा कराये गये समस्त कार्य यथा व्यावसायिक प्रशिक्षकों की उपस्थिति/अनुपस्थिति/अवकाश, Guest Lecture, औद्योगिक भ्रमण एवं ऑन जॉब ट्रेनिंग (OJT) एवं व्यावसायिक समन्वयक द्वारा माह में की गई विजिट का प्रमाणीकरण निर्धारित प्रारूप में संस्था प्रधान द्वारा किया जायेगा, जिसकी एक प्रति राज्य कार्यालय/जिला कार्यालय तथा एक प्रति व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता को उपलब्ध करवाई जानी आवश्यक है। प्रमाण पत्र के किसी कॉलम में यदि सूचना शून्य है तो उस कॉलम में "NIL" अथवा "नहीं" किया जावे। प्रमाण पत्र के किसी भी कॉलम को रिक्त नहीं छोड़ा जावे, प्रमाणीकरण का कार्य माह समाप्ति पश्चात तीन दिवस में किया जाना।
17. विद्यालय में व्यवसायिक प्रशिक्षकों के साथ अन्य शिक्षकों की तरह ही व्यवहार करना एवं प्राथमिकता से उन्हें अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाने में सहयोग प्रदान करना।
18. योजना के अन्तर्गत पंजीकृत विद्यार्थियों के व्यावसायिक शिक्षा विषय के शिक्षण हेतु अलग से उपस्थिति रजिस्टर संधारित कर प्रमाणीकरण किया जाना।
19. व्यावसायिक शिक्षा योजना का सतत् मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है इस हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षकों द्वारा किये गये साप्ताहिक कार्य का प्रमाणीकरण किया जाना, व्यावसायिक शिक्षा विषय के शिक्षण कार्य का पाक्षिक रूप से निरीक्षण किया जाना आवश्यक है।
20. व्यावसायिक शिक्षा योजना के सम्बंध में आगन्तुकों द्वारा दी जाने वाली टिप्पणी हेतु विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा विजिटर रजिस्टर का संधारण किया जाना।

21. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये समन्वयक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षकों के कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इसकी सूचना तुरन्त राज्य कार्यालय एवं जिला कार्यालय को दिया जाना ।
22. बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र भरवाना तथा सत्रांक बोर्ड को प्रेषित करना इस हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की वेबसाइट:-www.rajeduboard.rajasthan.gov.in को नियमित रूप से अवलोकन करना ।
23. व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत विभिन्न कक्षाओं में चयनित/पंजीकृत विद्यार्थियों की समस्त सूचनायें शालादर्पण पर अद्यतन किया जाना ।
24. कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थियों के व्यावसायिक शिक्षा विषय का परीक्षा परिणाम विद्यालय स्तर से तैयार कर जारी करना ।
25. व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति का पीएमएस पोर्टल पर अपडेशन किया जाना ।
26. जिस मद के लिये राशि उपलब्ध कराई जा रही है। व्यय उसी मद में ही किया जाना है।
27. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

3. व्यावसायिक शिक्षा योजना प्रभारी/कौशल मित्र के कार्य

1. विद्यालय में प्रयोगशाला स्थापना में प्रधानाचार्य, व्यावसायिक समन्वयक, व्यावसायिक प्रशिक्षक से समन्वय कर कार्य सम्पादित करना ।
2. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम आदि से प्राप्त दिशा निर्देशों की प्रधानाचार्य से समन्वय कर पालना करना ।
3. समय-समय पर व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा व्यवसाय से संबंधित प्रयोगशाला हेतु कच्ची सामग्री की आवश्यकता का आंकलन प्राप्त कर प्रधानाचार्य को प्रस्तुत कर, SDMC में अनुमोदन प्राप्त कर उपलब्ध कराना ।
4. विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षक (VT) द्वारा करवाये जा रहे शिक्षण कार्य का दैनिक अवलोकन करना व सप्ताह में एक बार अवलोकन रिपोर्ट तैयार कर प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करना ।
5. विद्यालय को व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत कार्यालय व्यय हेतु जारी की गई राशि का उपयोग यथा योजना के प्रचार-प्रसार, अभिभावकों के मार्गदर्शन एवं परामर्श, भ्रमण हेतु की गई यात्रा पर होने वाले व्यय हेतु, स्टेशनरी आदि के संबंध में होने वाले व्यय आदि का भुगतान विद्यालय विकास प्रबंधन समिति (SDMC) में अनुमोदन करने के पश्चात् सम्पादित करना, साथ ही राज्य स्तर से जारी अद्यतन दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना ।

अ.प.

4

6. विद्यालय में प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत व्यावसायिक प्रशिक्षक की उपस्थिति, व्यावसायिक समन्वयक की उपस्थिति, Guest Lecturer की रिपोर्ट एवं वाउचर्स, औद्योगिक भ्रमण एवं ऑन जॉब ट्रेनिंग (OJT) की रिपोर्ट एवं वाउचर्स के प्रमाणीकरण का कार्य सम्पादित करना।
7. संस्था प्रधान द्वारा किये जाने वाले व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित समस्त कार्यों में सहयोग प्रदान करना।
8. व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित समस्त सूचनाओं का शाला दर्पण में अंकन करवाना।
9. योजना से सम्बन्धित समस्त प्रकार की गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति का पीएमएस पोर्टल पर अद्यतन करना।

4. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) द्वारा किये जाने वाले कार्य

1. सेक्टर से संबंधित निर्धारित योग्यता वाले व्यावसायिक प्रशिक्षक उपलब्ध करवाना। (व्यावसायिक प्रशिक्षकों की योग्यता पं. सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल द्वारा निर्धारित)
2. चयनित व्यावसायिक प्रशिक्षकों को प्रारम्भिक तौर पर व्यावसायिक शिक्षा योजना क्रियान्वयन की जानकारी उपलब्ध कराना।
3. व्यवसाय से संबंधित विषय विशेषज्ञ का चयन कर Guest Lecture का आयोजन कराने में संस्था प्रधान एवं व्यावसायिक प्रशिक्षकों की मदद करना।
4. व्यावसायिक समन्वयक की साप्ताहिक एवं मासिक कार्य योजना तैयार करवाना व उसी अनुरूप कार्य करने हेतु निर्देशित करना।
5. संस्थाप्रधान को व्यवसाय से संबंधित प्रयोगशाला स्थापित करने में विशेषज्ञ उपलब्ध करवाकर मदद करना।
6. चयनित विद्यार्थियों का Port folio तैयार करवाकर विद्यालय में संधारित रखना।
7. प्रयोगशाला हेतु आवश्यक Consumable/ Non-consumable सामग्री के संबंध में संस्था प्रधान को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाना।
8. व्यावसायिक प्रशिक्षकों द्वारा व्यवसाय से संबंधित पाठ्यक्रम पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करवाना।
9. समय-समय पर राज्य कार्यालय/जिला कार्यालय द्वारा चाही गई सूचना जैसे Google Sheets, Email अथवा Online Data Management System आदि तैयार कर प्रेषित कराना।
10. प्रति माह तैयार किये जाने वाले बिल के साथ विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र, व्यवसायिक समन्वयक द्वारा विद्यालय में किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट एवं कार्यालय व्यय से सम्बन्धित बिल/वाउचर की मूल प्रति जिला कार्यालय में प्रस्तुत कराना।

अप

✓

11. प्रत्येक माह के मानदेय भुगतान (व्यावसायिक प्रशिक्षक/समन्वयक व कार्यालय व्यय आदि) का बिल निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना है:-

- व्यावसायिक प्रशिक्षकों व व्यावसायिक समन्वयकों के मानदेय भुगतान तथा कार्यालय व्यय (Evidence of payment सहित) एवं हैण्डलिंग चार्ज की पत्रावली।

12. अनुमोदित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लेवल-4 में प्रवेश के साथ ही उनके Placement की कार्य योजना 31 दिसम्बर तक तैयार कर राज्य कार्यालय को प्रेषित करना।

13. लेवल-4 (कक्षा 12) में उत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु जॉब प्लेसमेंट ड्राइव में अपेक्षित सहयोग कर अनुबन्ध के अनुसार विद्यार्थियों को जॉब प्रदान करना।

14. औद्योगिक भ्रमण व ऑन जॉब ट्रेनिंग (OJT) को दिशा निर्देशानुसार सम्पादित करना।

5. व्यावसायिक समन्वयक के कार्य एवं दिशा निर्देश

विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा योजना के सफल संचालन हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) द्वारा नियोजित व्यावसायिक समन्वयक के कार्य

1. माह में एक बार जिला कार्यालय में उपस्थित होकर जिले में आवंटित विद्यालयों में ट्रेडवार प्रत्येक माह में आयोजित गेस्ट लेक्चर, औद्योगिक भ्रमण व ऑन जॉब ट्रेनिंग (OJT) का प्लान अग्रिम रूप से प्रस्तुत करना। विदित रहे कि गेस्ट लेक्चर, औद्योगिक भ्रमण/ओजेटी व अन्य गतिविधियों को संस्था प्रधानों के समन्वय से समय पर आयोजन किये जाने का समस्त दायित्व व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता व व्यावसायिक समन्वयक का रहेगा।
2. प्रत्येक माह में संस्था प्रधान के साथ बैठक कर संस्था को आवंटित विद्यालय में आयोजित गेस्ट लेक्चर की योजना, जिसमें गेस्ट लेक्चर का विषय, गेस्ट लेक्चर के लिये आमंत्रित विशेषज्ञ व गेस्ट लेक्चर की संभावित तिथियों के अंकन सहित संस्था प्रधान से अग्रिम अनुमोदन कराकर एक प्रति जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना।
3. व्यावसायिक प्रशिक्षक को गत निरीक्षण के दौरान प्रदत्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना की स्थिति तथा प्रतिवेदित निरीक्षण दिवस तक व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा सम्पादित किये गये कार्यों का विवरण संस्था प्रधान को प्रस्तुत करना।
4. व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण कार्य (सैद्धान्तिक एवं प्रयोगिक) का माहवार सेशन प्लान तैयार करवाकर संस्था प्रधान को प्रस्तुत करना।
5. व्यावसायिक प्रशिक्षक के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्य, व्यवहार, पाठ्यक्रम एवं सेशन प्लान की पूर्णता आदि का विद्यार्थियों एवं कौशल मित्र से फीडबैक प्राप्त कर संस्था प्रधान को प्रस्तुत करना।

अ.प्र.

✓

6. वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुमोदित विद्यालयों में सेक्टर से सम्बन्धित व्यावसायिक प्रयोगशाला स्थापित करने में संस्था प्रधान, सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) एवं व्यावसायिक प्रशिक्षक का अपेक्षित सहयोग करना।
7. विद्यालयों में नियोजित व्यावसायिक प्रशिक्षकों के साथ लगातार सम्पर्क में रहकर प्रशिक्षण कार्य के दौरान अनुभूत समस्याओं का यथा सम्भव निराकरण करना।
8. व्यावसायिक समन्वयक द्वारा सेक्टर से सम्बन्धित समस्त प्रबन्धन एवं सूचना(MIS) तैयार करना।
9. प्रत्येक माह में मुख्य जिलाशिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के साथ बैठक कर आवंटित विद्यालयों में योजना क्रियान्वयन की समीक्षा करना, सभी विद्यालयों की विजिट रिपोर्ट एकत्रित करना एवं गत बैठक के दौरान उक्त अधिकारियों से प्राप्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना करना।
10. व्यावसायिक समन्वयक द्वारा अत्यावश्यक कारण के अतिरिक्त राज्य व जिला कार्यालयों में अनावश्यक रूप से उपस्थित न होकर, विद्यालयों में योजना क्रियान्वयन की प्रभावी मॉनिटरिंग करना।
11. व्यावसायिक समन्वयक द्वारा विद्यालय का निरीक्षण (Visit) किये जाने पर संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर विजिट रिपोर्ट तैयार करना जिस पर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक। प्रत्येक विद्यालय की विजिट रिपोर्ट अलग-अलग प्रपत्रों में संधारित कर भुगतान पत्रावलियों के साथ संलग्न कर राज्य कार्यालय को प्रेषित करना। प्रतिमाह सभी विद्यालयों की विजिट रिपोर्ट (निरीक्षण प्रपत्र) सम्बन्धित जिला कार्यालय में प्रस्तुत करना।
15. व्यावसायिक समन्वयक को आवंटित जिला मुख्यालय (एक से अधिक जिले आवंटित होने पर कोई एक जिला मुख्यालय) से विद्यालय निरीक्षण संबंधित खर्चों हेतु अधिकतम 300/- रु चाय, नाश्ता, एवं भोजन तथा 500/- रु प्रतिदिन आवास व्यवस्था हेतु नियमानुसार देय है।
16. व्यावसायिक समन्वयक द्वारा की गई यात्राओं से संबंधित यात्रा विवरण (Tour Programme) के साथ खर्च का विवरण दिनांकवार तैयार कर बिल/रसीद/टिकिट की मूल प्रति बिल के साथ संलग्न करें। बिल/रसीद/टिकिट पर व्यावसायिक समन्वयक द्वारा "Paid by me" लिखकर तथा व्यावसायिक प्रशिक्षक प्रदाता द्वारा प्रमाणित करवाकर भुगतान पत्रावली के साथ संलग्न करना।

अ.प्र.

५

6. व्यावसायिक प्रशिक्षक के कार्य एवं दिशा-निर्देश

1. विद्यालय में शिक्षा विभाग की समयावधि के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण हेतु समय पर उपस्थित रहकर कार्य कराना।
2. व्यावसायिक प्रशिक्षक को अनुबंध के अनुसार एक वर्ष में कुल 12 अवकाश देय हैं, अर्थात् एक अवकाश प्रतिमाह दिया जा सकता है। यदि किसी कारणवश चालू माह में अवकाश नहीं लिया हो तो आने वाले महीनों में बकाया अवकाश का अलग से उल्लेख करें। उपस्थित प्रमाण-पत्र में अवकाश के दिनांक पर "एल" अंकित करे ना कि "सी.एल" एवं उसे संस्था प्रधान से प्रमाणित करावें।
3. यदि व्यावसायिक प्रशिक्षक सार्वजनिक अवकाश के पूर्व बिना स्वीकृति के अनुपस्थित रहता है तो कार्य पर वापस आने तक अनुपस्थित माना जावेगा। यदि सार्वजनिक अवकाश से पूर्व उपस्थित रहता है तथा सार्वजनिक अवकाश के पश्चात् अनुपस्थित रह जाता है व पूर्व में अवकाश हेतु स्वीकृति ली गई है तो उक्त सार्वजनिक अवकाश का भुगतान देय होगा, पूर्व में अवकाश की स्वीकृति नहीं लेने की स्थिति में इस प्रकार के अवकाश का भुगतान नहीं किया जावेगा।
4. व्यावसायिक प्रशिक्षक की साप्ताहिक रिपोर्ट तथा व्यावसायिक समन्वयक की मासिक रिपोर्ट ई-मेल द्वारा जिला परियोजना समन्वयक/ अति० जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, कार्यालय में प्रेषित करना।
5. आवंटित विद्यालयों में संचालित व्यवसाय से संबंधित साप्ताहिक एवं मासिक कार्य योजना तैयार कर संस्था प्रधान व जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना।
6. दैनिक डायरी का संधारण करना व उस पर संस्था प्रधान/कौशल मित्र के हस्ताक्षर करवाना।
7. प्रति माह व्यवसाय व कक्षा (लेवल) से सम्बन्धित दो Guest Lecture के आयोजन की व्यवस्था संस्थाप्रधान, व्यावसायिक समन्वयक व व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के समन्वय से पूर्व में नियोजित कर आयोजन सुनिश्चित करना। एक सेक्टर के दोनो गेस्ट लेक्चर के मध्य लगभग 10 दिवस का अंतर होना चाहिये।
8. व्यावसायिक शिक्षा विषय कक्षाओं के संचालन व अन्य कार्य हेतु विद्यालय के संस्था प्रधान/कौशल मित्र(व्या.शि.) एवं व्यावसायिक समन्वयक के साथ लगातार सम्पर्क रखना।
9. विद्यालय में व्यवसाय से सम्बन्धित प्रयोगशाला स्थापित करने में संस्था प्रधान को सहयोग प्रदान करना।

10. विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करवाना।
11. व्यावसाय से संबंधित प्रायोगिक व सैद्धान्तिक परीक्षाओं के आयोजन में संस्था प्रधान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर व Sector Skill Council (SSC) को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
12. व्यवसाय से सम्बन्धित औद्योगिक भ्रमण एवं ऑन जॉब ट्रेनिंग (OJT) तथा Guest Lecture की पूर्व प्लानिंग कर संस्था प्रधान से अनुमोदन कराना व रिपोर्ट तैयार करना, तथा संस्था प्रधान से प्रमाणित करवाकर रिकार्ड संधारित करना।
13. आंवटित विद्यालयों के व्यावसायिक शिक्षा विषय का अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की काउंसलिंग कर योजना की विस्तृत जानकारी व उपयोगिता के बारे में अद्यतन करना, SDMC/PTM/PTA की मीटिंग में योजना की जानकारी प्रदान करना तथा मीटिंग आयोजन में सहयोग प्रदान करना।





व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत वर्तमान में कुल 905 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। उक्त समस्त विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा नियोजित किये गये व्यावसायिक प्रशिक्षकों/समन्वयकों के मानदेय एवं अन्य व्ययों से सम्बन्धित पुनर्भरण हेतु पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को अतिक्रमण करते हुये निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. राज्य कार्यालय द्वारा चयनित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को आवंटित किये गये विद्यालयों में नियोजित किये गये व्यावसायिक प्रशिक्षकों/समन्वयकों के मानदेय एवं अन्य व्यय आदि से सम्बन्धित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा पुनर्भरण हेतु प्रस्तुत की गई पत्रावलियों के पुनर्भरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया जिला कार्यालय द्वारा सम्पादित की जाएगी।
2. जिलों में संचालित समस्त विद्यालयों के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) से एक ही बिल प्राप्त किया जावे। (विद्यालय या व्यवसायवार पृथक-पृथक नहीं)
3. व्यावसायिक समन्वयक का मानदेय एवं कार्यालय व्यय से सम्बन्धित पुनर्भरण दावा व्यावसायिक समन्वयक के पास सर्वाधिक विद्यालयों के दायित्व वाले जिले में प्रस्तुत किया जायेगा। व्यावसायिक समन्वयक का विद्यालय विजिट प्रपत्र संबंधित संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
4. व्यावसायिक समन्वयक द्वारा निर्धारित विद्यालयों (न्यूनतम 22 विद्यालयों) का निरीक्षण किया जाना है। कम विद्यालय निरीक्षण करने की स्थिति में अनुपातिक रूप से व्यावसायिक समन्वयक के मानदेय में कटौती एवं राशि रु. 500/- प्रति विद्यालय पैनल्टी की जावेगी।
5. व्यावसायिक समन्वयक द्वारा विद्यालय विजिट से संबंधित खर्चों हेतु अधिकतम 300/- रु चाय, नाश्ता, एवं भोजन के लिए तथा 500/- रु प्रतिदिन आवास व्यवस्था हेतु देय है।
6. व्यावसायिक समन्वयक द्वारा की गई यात्राओं से संबंधित यात्रा विवरण (Tour Programme) के साथ खर्च का विवरण दिनांकवार तैयार कर बिल/रसीद/टिकिट की मूल प्रति पर Paid by me लिखा जाना आवश्यक है।
7. कार्यालय व्यय के वाउचर देयक के साथ मूल ही प्रस्तुत करें, जो प्रिण्टेड बिल, लेटरपेड, अथवा रबड़सील (प्रिण्टेड व्यवस्था नहीं होने पर) पर ही हो, जिस पर फर्म का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान व मोबाइल न. अंकित हो एवं भुगतान प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर हो।
8. कार्यालय व्यय के समस्त वाउचरों की संबंधित माह की मूल प्रति (ऑरिजनल) ही संलग्न हो, किसी भी वाउचर्स की छाया प्रति मान्य नहीं होगी। कार्यालय व्यय में निर्धारित राशि से अधिक राशि चार्ज किये जाने पर कटौती की जावे।
9. व्यावसायिक प्रशिक्षक को अनुबंध के अनुसार एक वर्ष में कुल 12 अवकाश देय हैं, अर्थात् एक अवकाश प्रतिमाह दिया जा सकता है। यदि किसी कारणवश चालू माह में अवकाश नहीं लिया हो तो आने वाले महीनों में बकाया अवकाश का अलग से उल्लेख होगा।





10. यदि व्यावसायिक प्रशिक्षक सार्वजनिक अवकाश के पूर्व बिना स्वीकृति के अनुपस्थित रहता है तो कार्य पर वापस आने तक अनुपस्थित माना जावेगा। यदि सार्वजनिक अवकाश से पूर्व उपस्थित रहता है तथा सार्वजनिक अवकाश के पश्चात् अनुपस्थित रह जाता है व पूर्व में अवकाश हेतु स्वीकृति ली गई है तो उक्त सार्वजनिक अवकाश का भुगतान देय होगा, पूर्व में अवकाश की स्वीकृति नहीं लेने की स्थिति में इस प्रकार के अवकाश का भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा नियोजित किये जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षकों को निर्धारित तिथि तक नियोजित नहीं करने पर राशि रु. 500/- प्रतिदिन प्रति व्यावसायिक प्रशिक्षक की गणना से पैनल्टी आरोपित होगी।
12. व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा बिना अनुमति के 04 कार्य दिवस अनुपस्थित एवं 07 कार्य दिवस अनुमति लेने के पश्चात् अनुपस्थित रहने की स्थिति में राशि रु. 500/- प्रतिदिन पैनल्टी लगाई जायेगी एवं प्रशासनिक व्यय में भी अनुपातिक कटौती की जायेगी।
13. प्रत्येक कक्षा हेतु प्रतिमाह 2 गेस्ट लेक्चर निर्धारित है। यदि कम गेस्ट लेक्चर आयोजित किये जाते हैं तो संबंधित आर्वाटित विद्यालयों में कम गेस्ट लेक्चर होने पर 500 रु प्रति गेस्ट लेक्चर पैनल्टी कटौती की जावे। माह मई, जून (ग्रीष्मावकाश) एवं अर्द्धवार्षिक/वार्षिक परीक्षा/राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों हेतु घोषित अवकाश की समयावधि में सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा मूल प्रमाण पत्र (गेस्ट लेक्चर आयोजित न करवाये जा सकने का कारण सहित) संलग्न होने पर पैनल्टी कटौती नहीं की जावेगी।
14. कक्षा 9 व कक्षा 10 के विद्यार्थियों हेतु प्रति सेक्टर दो यूनिट पूर्ण होने/3 माह पश्चात् औद्योगिक भ्रमण (प्रति वर्ष 03) का प्रावधान है, औद्योगिक भ्रमण नहीं होने की स्थिति में 2000/- प्रति भ्रमण पैनल्टी का प्रावधान है।
15. कक्षा 11 व कक्षा 12 के विद्यार्थियों हेतु पृथक-पृथक रूप से 80-80 घण्टे का ऑन जॉब ट्रेनिंग का प्रावधान है, ऑन जॉब ट्रेनिंग निर्धारित तिथियों में आयोजित नहीं करवाने पर प्रति विद्यार्थी प्रति दिवस राशि रुपये 100/- पैनल्टी का प्रावधान है।
16. गेस्ट लेक्चर एवं औद्योगिक भ्रमण/ओजेटी पर किये जाने वाले व्यय का भुगतान सम्बन्धित विद्यालय द्वारा निर्धारित मद से किया जायेगा। उक्त गतिविधियों के सम्पादित किये जाने का प्रमाणीकरण व्यावसायिक प्रशिक्षक के उपस्थिति प्रमाण पत्र पर संस्था प्रधान द्वारा इन्द्राज किया जावेगा।
17. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) द्वारा प्रस्तुत बिल में से की गई कटौती का कारण संस्था को पत्र/ईमेल द्वारा अवगत करवाया जावेगा तथा संस्था द्वारा 05 दिवस में स्पष्टीकरण एवं संबंधित दस्तावेज जिला कार्यालय द्वारा प्राप्त किया जावे, स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में कटौती को अंतिम रूप दिया जाये।
18. उक्त के अतिरिक्त जिला स्तर पर बिलों का पुनर्भरण करते समय निविदा/ईओआई की शर्तों एवं प्रावधानों के अनुसार पत्रावलियों का निस्तारण किया जाये।

अथ

✓

प्रपत्र-अ

विद्यालय का नाम:—.....
 ब्लॉक..... जिला.....
 दूरभाष नम्बर..... मेल आईडी.....

संतोषप्रद सेवा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि माह में व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालयों में संचालित व्यवसाय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता का नाम.....

1. व्यावसायिक प्रशिक्षक (V.T) की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

2. माह में आयोजित गेस्ट लेक्चर का विवरण:-

क्र. स	कक्षा	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या	दिनांक	गेस्ट लेक्चरर का नाम	गेस्ट लेक्चर का विषय
1	9				
2	9				
3	10				
4	10				
5	11				
6	11				
7	12				
8	12				

3. वर्तमान माह तक आयोजित औद्योगिक भ्रमण का विवरण:-

औद्योगिक भ्रमण/ऑन जॉब ट्रेनिंग	दिनांक	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या	औद्योगिक भ्रमण/ऑन जॉब ट्रेनिंग करवाये जाने वाली संस्था का नाम, पता व दूरभाष	औद्योगिक भ्रमण / ऑन जॉब ट्रेनिंग पर किया गया व्यय	औद्योगिक भ्रमण/ऑन जॉब ट्रेनिंग की गतिविधि विवरण
प्रथम					
द्वितीय					
तृतीय					
योग					

33

✓

4. माह में व्यावसायिक समन्वयक द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण:-

क्र.स	दिनांक	व्यावसायिक समन्वयक द्वारा विद्यालय में की गई गतिविधियों का विवरण

5. माह में व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण:-

प्रायोगिक कार्य हेतु माहवार योजना तैयार की गई है अथवा नहीं	
गेस्ट लेक्चर एवं औद्योगिक भ्रमण/ओजेटी हेतु योजना तैयार की गई है अथवा नहीं	
पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की स्थिति	
नवाचार (यदि कोई किया गया हो)	
अतिरिक्त कोई प्रयास व्यावसायिक शिक्षा योजना के प्रभावी संचालन हेतु	
अन्य	

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा कराये गये उपरोक्त समस्त कार्य सन्तोषप्रद रहे हैं। अतः राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर द्वारा नियमानुसार भुगतान किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

Details of Total Days In current Month					
Present	Absent	On leave(Date)	G.Holiday (Date)	Principal Power/Other Power Holiday(Date)	Balance of Leaves

हस्ताक्षर

नाम संस्था प्रधान मय मोबाईल नम्बर
एवं ईमेल पता

834

5

प्रपत्र-ब

व्यावसायिक समन्वयक निरीक्षण प्रपत्र

1. जिले का नाम..... निरीक्षण दिनांक.....
2. व्यावसायिक समन्वयक का आवंटित जिला मुख्यालय
3. विद्यालय का नाम.....
4. संस्था प्रधान का नाम..... मोबाईल.....
ईमेल पता.....
5. कौशल मित्र (व्यावसायिक शिक्षा) का नाम.....
मोबाईल नम्बर.....

5	विद्यालय में संचालित व्यावसायों के नाम	व्यवसाय-1	व्यवसाय-2
6	निरीक्षण दिवस को व्यावसायिक प्रशिक्षक की उपस्थिति	व्यवसाय-1	व्यवसाय-2
7	व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता(V.T.P) संस्था का नाम	व्यवसाय-1	व्यवसाय-2
8	व्यावसायिक समन्वयक का नाम व मोबाईल नं.	व्यवसाय-1	व्यवसाय-2

9. व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत नामांकित विद्यार्थियों का विवरण।

	कुल नामांकन											
	SC		ST		Min		Gen		Others		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
व्यवसाय-1												
व्यवसाय-2												

10. निरीक्षण दिवस में विद्यार्थियों की उपस्थिति।

	कक्षा 9			कक्षा 10			कक्षा 11			कक्षा 12		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T
व्यवसाय-1												
व्यवसाय-2												

11. विद्यार्थियों को छात्र कार्यपुस्तिका की उपलब्धता। हाँ/नहीं
12. प्रयोगशाला स्थापित किये जाने हेतु राशि। प्राप्त/अप्राप्त
13. व्यवसाय वार प्रयोगशाला की स्थिति

व्यवसाय का नाम	पूर्ण रूप स्थापित	आंशिक रूप से स्थापित	स्थापित नहीं
व्यवसाय-1			
व्यवसाय-2			

35

14. निरीक्षण दिनांक तक उल्लेखित माह में आयोजित कराये गये गेस्ट लेक्चर का विवरण :-

क्र. स	कक्षा	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या	दिनांक	गेस्ट लेक्चरर का नाम	गेस्ट लेक्चर का विषय
1	9				
2	9				
3	10				
4	10				
5	11				
6	11				
7	12				
8	12				

15. निरीक्षण दिनांक तक आयोजित औद्योगिक भ्रमण/ऑन जॉब ट्रेनिंग का विवरण :-

औद्योगिक भ्रमण/ऑन जॉब ट्रेनिंग	दिनांक	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या	औद्योगिक भ्रमण/ऑन जॉब ट्रेनिंग करवाये जाने वाली संस्था का नाम, पता व दूरभाष	औद्योगिक भ्रमण/ऑन जॉब ट्रेनिंग पर किया गया व्यय	औद्योगिक भ्रमण/ऑन जॉब ट्रेनिंग की गतिविधि विवरण
प्रथम					
द्वितीय					
तृतीय					
योग					

16. व्यावसायिक शिक्षा योजना के प्रभावी संचालन हेतु विद्यालय में व्यावसायिक समन्वयक द्वारा किये जा रहे प्रयासों का विवरण- (सभी कॉलम आवश्यक रूप से भरें।)

1. गेस्ट लेक्चर एवं औद्योगिक भ्रमण/ओजेटी की माहवार प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध में	
2. नजदीकी औद्योगिक संस्थानों से समन्वय कर विद्यार्थियों के लिये किये गये प्रयासों का विवरण	
3. सैद्धान्तिक व प्रायोगिक पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की योजना के सम्बन्ध में।	
4. गृह कार्य/प्रायोगिक कार्य के निरीक्षण के सम्बन्ध में।	
5. सॉफ्ट स्किल, नवाचार हेतु किये गये कार्य	
6. अन्य	

हस्ताक्षर
संस्था प्रधान
नाम मय पद एवं मोहर

हस्ताक्षर
व्यावसायिक समन्वयक
नाम व मोबाइल नम्बर

हस्ताक्षर

Raw Material, Maintenance of tools

दिशा- निर्देश-

1. उक्त राशि का उपयोग संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण में उपयोग में आने वाली कच्ची सामग्री, अस्थायी सामग्री, ई-लर्निंग सामग्री, पाठ्य पुस्तक, संन्दर्भ सामग्री क्रय करने में तथा संबंधित ट्रेड के उपकरणों औजारों के रख रखाव, त्रुटि सुधार, अपग्रेड करने में किया जा सकेगा।
2. कच्ची सामग्री का क्रय हेतु व्यावसायिक ट्रेनर, व्यावसायिक समन्वयक व व्यावसायिक प्रभारी से आवश्यक सामग्री की सूची व मापदण्ड प्राप्त कर प्राथमिकता के आधार पर सामग्री क्रय करे।
3. सामग्री का क्रय तथा भुगतान विद्यालय स्तर पर किया जावेगा तथा विद्यालय से व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से परिषद कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
4. उपरोक्त व्यय के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही का विद्यालय की एसएमडीसी से अनुमोदन करावें।
5. उक्त राशि का उपयोग 31 मार्च 2021 तक कर लिया जावें।
6. जिस मद के लिये राशि उपलब्ध कराई जा रही है। व्यय उसी मद में ही किया जाये।
7. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देश, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाइड लाइन एवं आरटीपीपी एक्ट, 2012 व नियम 2013 की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

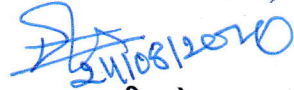
उत्तर

✓

Office Expenses /Contingencies for school

दिशा- निर्देश-

1. विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा योजना के संबंध में आयोजित होने वाली बैठकों के आयोजन पर होने वाला व्यय जैसे कि फोटो, बैनर, चाय, अल्पाहार इत्यादि।
2. व्यावसायिक शिक्षा विषय से संबंधित कोई रैली।
3. व्यावसायिक शिक्षा योजना के प्रचार प्रसार।
4. व्यावसायिक शिक्षा योजना में नामांकित विद्यार्थियों के अभिभावकों के मार्गदर्शन एवं निर्देशन के सम्बन्ध में बैठकों के आयोजन पर होने वाला व्यय।
5. व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में विद्यालय के संस्था प्रधान/प्रभारी व्यावसायिक शिक्षा द्वारा फिल्ड विजिट पर हाने वाला व्यय।
6. व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित स्टेशनरी,कम्प्यूटर स्टेशनरी, कार्यालय व्यय, आदि पर होने वाला व्यय।
7. व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित टेलीफोन व इन्टरनेट व्यय।
8. उपरोक्त करवाये गये कार्यों का अनुमोदन संबंधित विद्यालय की एसडीएमसी द्वारा किया जाना है।
9. जिस मद के लिये राशि उपलब्ध कराई जा रही है। व्यय उसी मद में ही किया जाये।
10. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
11. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देश, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाइड लाइन एवं आरटीपीपी एक्ट, 2012 व नियम 2013 की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायें



(बाबू लाल मीणा)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त,
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर

क्रमांक: रास्कूशिप/जय/व्या.शि./दिशा-निर्देश/2020-21/14108
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक 25 / 08 / 2020

01. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा व पुस्तकालय विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
02. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
03. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
04. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।

- निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
उपायुक्त, शाला दर्पण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर को पोर्टल पर व्यावसायिक शिक्षा टैब में अपलोड कराने हेतु।
07. उपनिदेशक, आई.टी., राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर को पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में अपलोड कराने हेतु।
08. संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), समस्त संभाग।
09. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समसा कार्यालय, समस्त जिले।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा कार्यालय, समस्त जिलों को प्रेषित कर लेख है कि दिशा-निर्देश की प्रति सम्बन्धित सी.बी.ई.ई.ओ., पी.ई.ई.ओ. एवं संस्थाप्रधान (व्या.शि.संचालित विद्यालय) को भिजवाना सुनिश्चित करें।
11. रक्षित पत्रावली।


(वाज़िबी सागर)
उपायुक्त
रा.स्कू.शि.प., जयपुर